

शिविर कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

पत्रांक 1955/ओएसडी/डीएम-कानपुर/कोविड-19/2020

दिनांक : 02-04-2020

आदेश


मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन के परिपत्र संख्या-239/पीएसएमएस/2020 दिनांक 01 अप्रैल, 2020 के माध्यम से यह निर्देश जारी किये गये हैं कि कुछ स्थानों पर माहवाहक वाहनों को बिना पास के रोके जाने व उनसे पास मांगने की सूचना आई है अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी माहवाहक वाहन को सामान्यतः न रोका जाए तथा उनसे पास की मांग न की जाए।

अतः तदनुपालन में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण के रोकथाम हेतु लागू किये गये लॉकडाउन की अवधि के लिए यह आदेश पारित किये जाते हैं कि किसी भी माहवाहक वाहन को रोका नहीं जायेगा और न ही उनसे पास की मांग की जायेगी। खाली मालवाहक वाहनों को भी नहीं रोका जायेगा। परन्तु माहवाहक वाहन का दुरुपयोग लोगों को लाने ले के लिए नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो इसका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

(डॉ० ब्रह्म देव राम तिवारी)  
जिला मजिस्ट्रेट,  
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि : निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-मुख्य स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को सादर सूचनार्थ।
- 2-अपर मुख्य सचिव, गृह एवं गोपन, उ०प्र० शासन को सादर सूचनार्थ।
- 3-आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर सूचनार्थ।
- 4-डी०आई०जी०/एस०एस०पी० कानपुर नगर।
- 5-मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
- 6-समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
- 7-नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम, मोतीझील, कानपुर नगर।
- 8-उप निदेशक सूचना, कानपुर नगर।
- 9-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, कानपुर नगर।

  
जिला मजिस्ट्रेट,  
कानपुर नगर।